# <u>न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं</u>

पीठासीन अधिकारीः—लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 030/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ( भूमिधारी ) तहसील व जिला झुंझुनूं।
—— प्रार्थी

बनाम

1 राकेश पुत्र बृजलाल, जाति मेघवाल, निवासी ईस्लामपुर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2 मेवा पत्नी बृजलाल, जाति मेघवाल, निवासी ईस्लामपुर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
—— अप्रार्थीगण

——

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थितः—

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट— प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया, एडवोकेट— अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से।

## आदेश

दिनांक 13.07.2022

1. पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से है कि मौजा ईस्लामपुर, तहसील व जिला झुंझुनूं की हाल जमाबन्दी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 588 के अनुसार ग्राम ईस्लामपुर मे स्थित भूमि ख0न0 1614 रकबा 0.76 है0 किस्म बारानी तृतीय की गैर खातेदारी राकेश पुत्र बृजलाल, जाति मेघवाल, निवासी ईस्लामपुर, तहसील व जिला झुंझुनूं हि0 1/2, मेवा पत्नि बृजलाल, जाति मेघवाल, निवासी ईस्लामपुर, तहसील व जिला झुंझुनूं 1/2 सा0 देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के गत ख0न0 एवं पूर्व के रिकार्ड की स्थिति निम्नानुसार दर्ज रिकार्ड हैः—

| क्र. सं. | जमाबन्दी सम्वत् | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म | जमीन 3 गैर मोरूसी कृषक का नाम व विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019—2022 | 625 मी. | 3 बीघा | बरानी सोयम, बंजड दोयम | टोडिया पु0 मंगला, जाति चमार, निवासी ग्राम मु0 1. साल |
| 2 | 2023—2026 | 625 मी. | 3 बीघा | बरानी सोयम, बंजड दोयम | टोडिया पु0 मंगला, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार |
| 3 | 2027—2030 | 625 मी. | 3 बीघा | बरानी सोयम, बंजड दोयम | टोडिया पु0 मंगला, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार |
| 4 | 2031—2034 | 625 मी. | 3 बीघा | [illegible] | टोडिया पु0 मंगला, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार |
| 5 | 2039—2042 | 625 मी. | 3 बीघा | [illegible] | बृजलाल पु0 टीडिया व मेवा टीडिया, जाति [illegible] गैर खातेदार |
| 6 | 2044—2047 | 625 मी. | 3 बीघा | बरानी सोयम, बंजड दोयम | बृजलाल पु0 [illegible] बेवा टीडिया, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार |

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 10:11:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2060–2063 | 1614 | 0.76 है0 | बारानी 3 | बृजलाल पु0 टीडिया व बेवा टीडिया, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार |
| 8 | 2062–2065 | 1614 | 0.76 है0 | बारानी 3 | राकेश पु0 बृजलाल, मेवा पत्नि बृजलाल, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार |
| 9 | 2065–2068 | 1614 | 0.76 है0 | बारानी 3 | राकेश पु0 बृजलाल, मेवा पत्नि बृजलाल, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार |
| 10 | 2069–2072 | 1614 | 0.76 है0 | बारानी 3 | राकेश पु0 बृजलाल, मेवा पत्नि बृजलाल, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार |
| 11 | 2074–2077 | 1614 | 0.76 है0 | बारानी 3 | राकेश पु0 बृजलाल, मेवा हिस्सा पूर्ण, जाति मेघवाल, सा0 देह खातेदार |

उक्त वर्णित भूमि जमाबंदी सम्वत् 2019–2022 से गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है, जो बिना किसी कारण व आदेश के दर्ज हुई है जो गलत है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे में दिया जाना न्यायोचित नही है। इस प्रकार की भूमियों की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार ( भूमिधारी ) का कर्तव्य है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन की आड़ में गैर खातेदारी अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त विवादित भूमि की खातेदारी ग्रहण कर लेता है तो राज्य सरकार की हक तलफी होगी, अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को असुविधा होगी, आवश्यक मुकदमेबाजी बढेगी तथा अनेकों कानूनी पेचदगियां उत्पन्न हो जावेगी। विवादित भूमि श्रीमान जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से रेफरेन्स पेश करने का पूर्ण अधिकार है। राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भूमिधारी की हैसियत से रेफरेन्स पेश करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थना पत्र बहुत ही मजबूत आधारों पर पेश किया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थना पत्र राजहक में पेश है। अतः सभी प्रकार से शुल्कों से मुक्त रखने की कृपा करे। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 588 के अनुसार ग्राम ईस्लामपुर में स्थित भूमि ख0न0 1614 रकबा 0.76 है0, किस्म बजड तृतीय, की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित में दिया जाना उचित हो वो भी दिलाने की कृपा करे।

2 बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक ( प्रार्थी ) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम ईस्लामपुर की सरहद मे स्थित [illegible] है0 किस्म बारानी 3 के मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2019–2022 के अनुसार पुराने भू[illegible]बर 625 मी0 की गैर खातेदारी राकेश पुत्र बृजलाल, जाति मेघवाल, निवासी ईस्लामपुर, तह[illegible] जिला झुंझुनूं हि0 1/2, मेवा पत्नि बृजलाल, जाति मेघवाल, निवासी [illegible]/2 सा0 देह गैर खातेदार के खाते मे दर्ज रिकार्ड है। अतः प्रार्थी [illegible] जाकर विवादित भूमि की गैरखातेदारी अनोवदक के खाते से हटाई जाकर खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 10:11:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

3 अप्रार्थीगण वकील ने राजकीय अभिभाषक के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि की किस्म बारानी सोयम, बंजड दोयम है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि नही है। उक्त किस्म की भूमि का आंवटन/नियमन अप्रार्थीगण के पक्ष मे किया जा सकता है। जमाबन्दी ( रिकार्ड ) मे अप्रार्थी का नाम संवत् 2019 से अर्थात 50 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है एवं विवादित भूमि के मौके पर अप्रार्थी का ही कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं के यहां विवादित भूमि की खातेदारी हेतु दावा विचाराधीन है। तहसीलदार झुंझुनूं नियमानुसार अप्रार्थीगण के पक्ष मे गैर खातेदारी से खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे अंकन हेतु राजस्थान भू–राजस्व ( कृषि प्रयोजनार्थ भू–आंवटन ) नियम 1970 के नियम 18 मे सुस्थापित विधि के अनुसार गैर खातेदारी से खातेदारी आंवटन के तीन वर्षो के अन्दर प्रदान कर देनी चाहिए थी। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र या तो खारिज फरमाया जावे या फिर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं के यहां विचाराधीन वाद के निर्णय तक रेफरेन्स की कार्यवाही स्थिगित रखी जावे।

4 पत्रावली का अवलोकन किया व बहस राजकीय पैरोकार पर बगौर मनन किया। ग्राम ईस्लामपुर की सरहद मे स्थित विवादित भूमि ख0न0 1614 रकबा 0.76 है0 किस्म बारानी 3 जिसके पुराने भूमि खसरा नम्बर 625 मी0 रकबा 3 बीघा है की गैर खातेदारी राकेश पुत्र बृजलाल, जाति मेघवाल, निवासी ईस्लामपुर, तहसील व जिला झुंझुनूं हि0 1/2, मेवा पत्नि बृजलाल, जाति मेघवाल, निवासी ईस्लामपुर, तहसील व जिला झुंझुनूं 1/2 सा0 देह गैर खातेदार के खाते मे दर्ज है। पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजात व जमाबन्दी से तथा बहस वकील अप्रार्थीगण से पुष्टि होती है कि उक्त आराजी की गैर खातेदारी अनावेदक के नाम 50 वर्षो से रही है। वर्तमान में अप्रार्थीगण का ही विवादित भूमि के मौके पर कब्जा है। विवादित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि नही है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं के यहां विवादित भूमि की खातेदारी हेतु अप्रार्थीगण का दावा विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में हम रेफरेन्स पर कोई कार्यवाही की जाना उचित नही समझते हैं।

5 अतः ग्राम ईस्लामपुर तहसील व जिला झुंझुनू स्थित अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज हुई भूमि हाल ख0न0 1614 रकबा 0.76 है0 किस्म बारानी 3 की गैर खातेदारी निरस्त करवाने हेतु तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं के निर्णय तक कार्यवाही स्थिगित की जाती है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं के निर्णय के उपरान्त यदि प्रकरण रेफरेन्स योग्य पाया जावे तो तहसीलदार झुंझुनूं पुनः नये सिरे से विवादित भूमि का रेफरेन्स प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 10:11:54 IST
Reason: SelfAttested

( एल0एस0कुडी )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं